न.Ex.- 4/17

7.8.23 डिक्रीदार की ओर से हाजरी दी गयी।

डिक्रीदार की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन दि० - 25.7.23 को आज विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया। एवं कथन किया गया कि डिक्री के पद नं० - 1 में खाता नं० - 104, खेसरा नं० - 277, खाता नं० - 143, खेसरा नं० - 291 अंकित है लेकिन Execution Petition में लिपिकीय भूल वश खाता नं० - 143, खेसरा नं० - 291, अंकित करना छूट गया है जिसे प्रार्थी को जोड़ना सही करना आवश्यक है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि डिक्रीदार के आवेदन को स्वीकार करने की कृपा करें।

उक्त आवेदन पर विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, अभिलेख एवं आवेदन के अवलोकन से विदित होता है कि डिक्रीदार खाता नं० - 143 एवं खेसरा नं० - 291 वाद पत्र में अंकित करना चाहते हैं। डिक्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि डिक्री में खाता नं० - 143 एवं खेसरा नं० - 291 अंकित है परंतु वाद पत्र में खाता नं० - 143 खेसरा नं० - 291 अंकित नहीं है जिससे प्रतीत होता है कि वाद पत्र में लिपिकीय भूल वश उपरोक्त खाता नं० एवं खेसरा नं० अंकित करना छूट गया है। वाद के उचित निष्पादन एवं न्यायनिर्णय हेतु वाद पत्र में खाता नं० - 143 एवं खेसरा नं० - 291 अंकित करना न्यायहित में न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः डिक्रीदार का दि० - 25.7.23 का दाखिल संशोधन आवेदन न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है।

दि० - 21.8.23 बाकी कार्य

संशोधन।